न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– मुकेश कुमार चौधरी (R.A.S.)
राजस्व वाद संख्या :– 23/2018

उनवान

1. रामचन्द्र पुत्र उगमा जाति जाट निवासी ग्राम कानपुरा नसीराबाद
–– प्रार्थी :– जरियें अधिवक्ता श्री अश्विनी धुन्ना

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद
–– प्रतिवादी :– जरियें राज0 पैरोकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राज0 अधि0 1956

–: आदेश :– दिनांक :– 25.9.18

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पेश का निवेदन किया कि ग्राम कानुपरा के वंर्किग खसरा नम्बर 1448 रकबा 1–14–10 की आराजी प्रार्थी ने जरियें पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 5.1.1979 को मगदू पत्नी नन्दू से क्रय कर कब्जा व दखल प्राप्त कर लिया था। वंर्किग जमाबंदी में उक्त विक्रय पत्र की पालना में नामान्तकरण संख्या 53 दिनांक 13.3.86 से प्रार्थी का नाम दर्ज कर दिया था। विक्रेता मगदू की मृत्यु हो चुकी है। उक्त आराजी के हाल खसरा नम्बर 1649 रकबा 0.28 की आराजी पर वंर्किग जमाबंदी अनुसार प्रार्थी का नाम दर्ज करने के बजाय बंदोबस्त विभाग ने त्रुटिपूर्ण तरीके से विक्रेता मगदू का नाम पुनः दर्ज कर दिया।
अतः वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण होने से आराजी मुतनाजा हाल राजस्व रेकार्ड में पुनः प्रार्थी के नाम दर्ज की जावे।

राज0 पैरोकार ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि भू प्रबन्ध विभाग ने जमाबंदी सम्वत् 2059–78 में नामान्तकरण संख्या 53 का अमल नही किया है। प्रार्थी द्वारा उक्त नामान्तकरण व विक्रय पत्र की प्रमाणित प्रति पेश नही की है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।
बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी द्वारा उक्त आराजी विधिक रूप से क्रय की थी जिसकी पालना भी पूर्व राजस्व अभिलेख में हो गयी थी। हाल राजस्व अभिलेख में पालना नही किये जाने के कारण प्रार्थी को अकारण ही उक्त प्रार्थना पत्र पेश करना पडा। विक्रेता मगदू की मृत्यु हो चुकी है एवं उसके कोई वारिस नही है जिसके समर्थन में प्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत कानपुरा द्वारा जारी शजरा प्रमाण पत्र पेश किया गया।

राज0 पैरोकार ने दौराने बहस अपने जवाब प्रार्थना पत्र कें कथनो को ही दोहराया।

पत्रावली का अवलोकन व अनुशीलन किया विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया। आराजी मुतनाजा प्रार्थी द्वारा जरियें पंजीकृत विक्रय पत्र क्रय की गयी है। पंजीकृत विक्रय पत्र की सत्यता से इंकार नही किया जा सकता। प्रार्थी ने विक्रेता को प्रतिफल राशि अदा कर भूमि क्रय की है।

उक्त आराजी का तत्कालीन राजस्व अभिलेख में नामा0 स0 53 दिनांक 13.63.86 से प्रार्थी के नाम अंकन दर्ज कर दिया गया था। साबिक खसरा नम्बर 1448 के हाल खसरा नम्बर 1649 रकबा 0.28 बने है। जो हाल राजस्व अभिलेख में विक्रेता मंगदू पत्नी नन्दा के नाम दर्ज कर दी गयी। जबकि उक्त आराजी मंगदू द्वारा जरियें पंजीकृत विक्रय पत्र बैचान किया जा चुका है एवं राज0 काश्त0 अधि0 1955 की धारा 63 के अनुसार उसके खातेदारी अधिकारो का अवसान हो चुका है। विक्रेता की मृत्यु हो चुकी है जिसके कोई वारिस नही है। जो ग्राम पंचायत कानपुरा द्वारा जारी शजरा प्रमाण पत्र से सिद्व होता है।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

राज0 पैरोकार ने जवाब में कथन किया है कि प्रार्थी द्वारा उक्त नामान्तकरण व विक्रय पत्र की प्रमाणित प्रति पेश नही की है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। किन्तु प्रार्थी द्वारा न्यायालय में दौराने बहस मूल विक्रय पत्र पेश कर दिया है एवं वंर्किग जमाबंदी में उक्त नामान्तकरण का अमल हो चुका है। एवं उक्त वंर्किग जमाबंदी प्रमाणित है। राज0 पैरोकार ने वाद के खण्डन हेतु कोई साक्ष्य व दस्तावेज पेश नही किये है। अतः आराजी मुतनाजा का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्व होता है। अतः आराजी मुतनाजा पर प्रार्थी इन्द्राज दुरूस्ती के अधिकारी है।

उक्तानुसार ग्राम कानपुरा के हाल खसरा नम्बर 1649 रकबा 0.28 की आराजी पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है। उक्त आराजी पर मंगदू पत्नी नन्दा के स्थान पर प्रार्थी का नाम दर्ज किया जावे। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद